मा0 उच्च न्यायालय प्रकरण/अतिआवश्यक/शीर्ष प्राथमिकता/फैक्स

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश।

1-तिलकमार्ग लखनऊ।

परिपत्र संख्या-24/2015 दिनांकःलखनऊः अप्रैल 15 , 2015

सेवा में,

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक प्रभारी जनपद,
उत्तर प्रदेश ।

आज दिनॉक 15-4-2015 को मैं मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के कम में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में उपस्थित हुआ । मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली पर असंतोष व्यक्त करते हुए निम्न निर्देश दिये हैं जिनका अनुपालन आप सभी के द्वारा किया जाना आवश्यक है :-

(1)मा0 न्यायालय द्वारा जो भी जमानती प्रार्थना पत्र या अन्य नोटिस भेजे जायें उनमें न्यायालय द्वारा निर्धारित तिथि से पूर्व सूचना प्रत्येक दशा में उपलब्ध करा दी जाय, साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि जो सूचना प्रेषित की जा रही है वह स्पष्ट एवं पूर्ण है ।

(2)मा0 न्यायालयों में शपथ पत्र समय से दाखिल कराये जायें ।

(3)जिन प्रकरणों में पुलिस कर्मी अभियुक्त/गवाह के रूप में हों उनकी उपस्थिति सुनिश्चित कराने हेतु मा0 न्यायालयों द्वारा निर्गत प्रोसेस को अवश्य तामील कराया जाय ।

(4)जनपदों में कार्यरत सम्मन सेल अपने कर्तव्यों का सही तरह से पालन नहीं कर रहे हैं। अतः प्रत्येक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक यह सुनिश्चित करें कि मा0 न्यायालयों द्वारा जो सम्मन/वारन्ट निर्गत किये जायें उनका तामीला अवश्य कराया जाय ।

(5)मा0 न्यायालयों द्वारा जब भी अभियुक्त का आपराधिक इतिहास मॅगाया जाता है तो उसे ज्ञान कर अवश्य उपलब्ध कराया जाय ।

(6)जनपदों में मालखानों का रख-रखाव उचित प्रकार से कराया जाय जिससे समय से माल न्यायालयों में प्रस्तुत हो सके ।

2- आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि मा0 न्यायालयों के आदेशों एवं निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए आपराधिक न्याय प्रक्रिया में अपना बहुमूल्य सहयोग प्रदान कर जधन्य अपराधों में लिप्त अभियुक्तगण को सजा दिलाने में पूर्ण सहयोग करें ।

(अरविन्द कुमार जैन)
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अनुश्रवण की कार्यवाही सुनिश्चित कराये जाने हेतु प्रेषित :-

1- पुलिस महानिरीक्षक(अपराध), उ0प्र0 लखनऊ ।
2- समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश ।
3- समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश ।